

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी-स्कीम, जयपुर -302005

दूरभाष सं. 0141-2229314, 228728

ईमेल : dilbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : एफ.10(न0.पा.) (गठन) बजट घोषणा/डीएलबी/2025/11278 दिनांक : 29/4/2025

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में राज्य के निम्न जिलों की ग्राम पंचायतों को नवगठित नगरीय निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 के अनुसार निम्न नवगठित नगर पालिका में निम्नानुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाते हैं:-

क्रम संख्या	जिले का नाम	नवीन नगर पालिका का नाम	नवीन नगर पालिका में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड सदस्य
1.	झुंझुनूं	मलसीसर	ग्राम पंचायत मलसीसर के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड पंचों को क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड सदस्य
2.	चुरू	साहवा	ग्राम पंचायत साहवा के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड पंचों को क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड सदस्य
3.	ब्यावर	रायपुर	ग्राम पंचायत रायपुर के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड पंचों को क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड सदस्य
4.	धौलपुर	सैपऊ	ग्राम पंचायत सैपऊ के निर्वाचित सरपंच को अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत राजौरा कला के सरपंच को उपाध्यक्ष एवं अन्य समस्त को वार्ड सदस्य
5.	झुंझुनूं	बुहाना	ग्राम पंचायत बुहाना के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड पंचों को क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड सदस्य
6.	डीडवाना-कुचामन	खाटू खुर्द	ग्राम पंचायत खाटू खुर्द के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड पंचों को क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड सदस्य
7.	जयपुर	कानोता	ग्राम पंचायत कानोता के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड पंचों को क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड सदस्य
8.	करौली	सूरौठ	ग्राम पंचायत सूरौठ के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड पंचों को क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड सदस्य
9.	नागौर	रियांबडी	ग्राम पंचायत रियांबडी के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड पंचों को क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड सदस्य
10.	झुंझुनूं	मण्ड्रेला	ग्राम पंचायत मण्ड्रेला के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड पंचों को क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड सदस्य
11.	जोधपुर	मथानिया	ग्राम पंचायत मथानिया के निर्वाचित सरपंच को अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत सिंधियो की ढाणी के सरपंच को उपाध्यक्ष एवं अन्य समस्त को वार्ड सदस्य

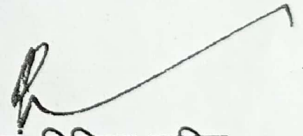
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : एफ.10(न0.पा.) (गठन) बजट घोषणा/डीएलबी/2025/11278-11346 दिनांक : 22/04/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निदेशक, जनगणना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त, संभागीय आयुक्त/संबंधित जिला कलक्टर राज०।
9. समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, निदेशालय।
10. समस्त, उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, अधिशाषी अधिकारी, नवीन नवगठित नगर पालिका, मलसीसर, राहवा, रायपुर, सैपऊ, बुहाना, खाटू खुर्द, कानोता, सूरौठ, रियांबडी, मण्डेला, मथानिया को भेजकर लेख है कि संबंधित जिला कलक्टर से व्यक्तिगत संपर्क कर उनके निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में वार्ड परिसीमांकन से संबंधित समस्त कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
12. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
13. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
14. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने बाबत।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
16. निदेशक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
17. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : एफ.10(न0.पा.) (गठन) /डीएलबी/2025/11347 दिनांक : 22/04/2025

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में राज्य के निम्न जिलों की ग्राम पंचायतों को गठित नगरीय निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

अतः नवगठित नगर पालिकाओं में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को निम्नानुसार प्राधिकारी/प्रशासक नियुक्त किया जाता है:-

क्रम संख्या	नवीन नगर पालिका का नाम	प्राधिकारी/प्रशासक	जिले का नाम
1.	मनोहरथाना	उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना	झालावाड़
2.	डग	उपखण्ड अधिकारी गंगाधर	झालावाड़
3.	समदडी	उपखण्ड अधिकारी सिवाना	बालोतरा
4.	अरनोद	उपखण्ड अधिकारी अरनोद	प्रतापगढ़
5.	पीसांगन	उपखण्ड अधिकारी पीसांगन	अजमेर
6.	मनिया	उपखण्ड अधिकारी धौलपुर	धौलपुर
7.	जसोल	उपखण्ड अधिकारी बालोतरा	बालोतरा
8.	पलसाना	उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़	सीकर
9.	बीगोद	उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़	भीलवाड़ा
10.	खेजरोली	उपखण्ड अधिकारी चौमूं	जयपुर
11.	कालाडेर	उपखण्ड अधिकारी चौमूं	जयपुर
12.	खानपुर	उपखण्ड अधिकारी खानपुर	झालावाड़
13.	बनेडा	उपखण्ड अधिकारी बनेडा	भीलवाड़ा
14.	मण्डार	उपखण्ड अधिकारी रेवदर	सिरोही

उक्त प्राधिकारी/प्रशासक नवीन नगर पालिका में निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक नगर पालिका की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करेंगे तथा प्राधिकारी/प्रशासक को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के प्रयोजनों के लिए नगर पालिका (Municipality) समझा जावेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(इन्द्रजीत सिंह)

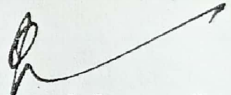
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : एफ.10(न0.पा.) (गठन) /डीएलबी/2025/11348-11420 दिनांक : 22/04/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
 2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
 4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
 5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

7. निदेशक, जनगणना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त, संभागीय आयुक्त/संबंधित जिला कलक्टर राज०।
9. समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, निदेशालय।
10. समस्त, उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. प्राधिकारी/प्रशासक, नवीन नवगठित नगर पालिका, मनोहरथाना, डग, समदडी, अरनोद, पीसांगन, मनिया, जसोल, पलसाना, बीगोद, खेजरोली, कालाडेरा, खानपुर, बनेडा, मण्डार।
12. अधिशाषी अधिकारी, नवीन नवगठित नगर पालिका, मनोहरथाना, डग, समदडी, अरनोद, पीसांगन, मनिया, जसोल, पलसाना, बीगोद, खेजरोली, कालाडेरा, खानपुर, बनेडा, मण्डार। को भेजकर लेख है कि संबंधित जिला कलक्टर से व्यक्तिगत संपर्क व उनके निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में वार्ड परिसीमांकन से संबंधित समस्त कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
13. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने बाबत।
16. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
17. निदेशक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
18. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : एफ.10(न0.पा.) (गठन) / डीएलबी / 2025 / 11421 दिनांक : 22/04/2025

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 1189-1395 दिनांक 22.01.2025 की निरंतरता में राज्य की नवगठित नगरीय निकाय घडसाना जिला श्रीगंगानगर के बोर्ड का कार्यकाल माह मार्च 2025 को पूर्ण हो गया है। नगरीय निकाय में निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक उपखण्ड अधिकारी, घडसाना को प्राधिकारी/प्रशासक नियुक्त करती हैं।

यह प्राधिकारी/प्रशासक नगर पालिका में निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक नगर पालिका की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करेंगे तथा प्राधिकारी/प्रशासक को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के प्रयोजनों के लिए नगर पालिका (Municipality) समझा जावेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : एफ.10(न0.पा.) (गठन) / डीएलबी / 2025 / 11422-11430 दिनांक : 22/04/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निदेशक, जनगणना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, बीकानेर/जिला कलक्टर श्रीगंगानगर।
9. समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, निदेशालय।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
11. प्राधिकारी/प्रशासक, नगर पालिका, घडसाना।
12. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, घडसाना को भेजकर लेख है कि संबंधित जिला कलक्टर से व्यक्तिगत संपर्क कर उनके निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में वार्ड परिसीमांकन से संबंधित समस्त कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
13. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने बाबत।
16. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
17. निदेशक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
18. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव